

उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग-1

अधिसूचना

नियुक्ति

28 मार्च, 2025 ई०

संख्या-20नो-I/XXXVI-A-1/2025-03 नो-आई/2003-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राजेन्द्र सिंह पांगती, अधिवक्ता को दिनांक 28-03-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला पिथौरागढ़ की तहसील डीडिहाट में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री राजेन्द्र सिंह पांगती का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

प्रदीप पन्त,

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 20 No-I/XXXVI-A-1/2025-03 No.-I/2003 Dated- March 28, 2025.

NOTIFICATION

Appointment

March 28, 2025

No. 20 No-I/XXXVI-A-1/2025-03 No-I/2003--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Rajendra Singh Pangti, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 28-03-2025 for Tehsil Didihat, District Pithoragarh and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Rajendra Singh Pangti be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

PRADEEP PANT,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 19-04-2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 17 न्याय/236-06-06-2025-20 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)